न्यायालयः—आशीष दवंडे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरसूद, जिला, खण्डवा (म0प्र0)

नियमित जमानत आवेदन क्र0 BA/101/2022
अपराध क्र0 361/2022
थाना खालवा जिला खण्डवा

1. लेखराम उर्फ बाली उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता चतरसिंह निवासी जामन्या सरसरी तहसील खालवा जिला खंडवा (म0प्र0)
2. अशोक उर्फ सुग्रीव उम्र लगभग 19 वर्ष पिता चतरसिंह निवासी जामन्या सरसरी तहसील खालवा जिला खंडवा (म0प्र0)

.....आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केंद्र, चौकी रोशनी थाना खालवा जिला खण्डवा (म0प्र0)

.....अनावेदक/अभियोजन

(सत्यप्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 19.10.2022)

19.10.2022 अनावेदक/राज्य की ओर से श्री मनीष बरोले अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आरोपी लेखराम उर्फ बाली एवं अशोक उर्फ सुग्रीव अभिरक्षा में है उनकी ओर से महेन्द्र अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी/रिमांड पत्रावली एवं अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. के तर्क हेतु नियत है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद, जिला खण्डवा (श्री महादेव पटेल) के न्यायालय से आरक्षी केन्द्र खालवा जिला खंडवा के अपराध क्रमांक 361/2022 धारा 294, 323, 506, 326, 34 भा0दं0वि0 से संबंधित रिमांड पत्रावली प्राप्त। संबधित थाने से केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक मयाराम ने उपस्थित होकर स्वंय के आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत की और जमानत पर आपत्ति ना होना प्रकट किया है।

प्रकरण जमानत आवेदन पर विचार हेतु प्रस्तुत हुआ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत व्दितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर उभयपक्ष को श्रवण किया गया। उभयपक्ष के तर्क के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रकट किया गया कि धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत उनका यह व्दितीय जमानत आवेदन पत्र है, तद्संबंध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र अग्रवाल ने अपना स्वंय का शपथपत्र प्रस्तुत किया जिससे यह आवेदन आवेदकगण/अभियुक्तगण का व्दितीय जमानत आवेदन पत्र होना प्रतीत होता है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रकट किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो बल ना देने के कारण निरस्त किया गया है यह व्दितीय जमानत आवेदन पत्र है। आवेदकगण/आरोपीगण पर धारा 326 भादवि का आरोप था जो एम.एल.सी. के बाद धारा 307 भा.द.वि में परिवर्तित हो गया है। प्रकरण में आरोपीगण एवं फरियादी घायल के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। चूंकि धारा 307 भा.द.वि अजमानतीय है इसलिये राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता किंतु अभियोग पत्र पेश होने के बाद जमानती धाराओं में राजीनामा प्रस्तुत किया जावेगा। वर्तमान में फरियादी घायल स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामें के आधार पर जमानत दिये जाने में सहमति प्रदान कर रहा है तथा वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित है। आरोपीगण को न्यायिक निरोध में लगभग दो माह का समय हो गया है। चालान प्रस्तुत होकर अंतिम निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण/आरोपीगण मजदूरी का कार्य कर उससे प्राप्त आय से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आरोपीगण ग्राम जामन्या का स्थायी निवासी होकर परिवार को संभालने वाले व्यक्ति है जहां उनकी चल अचल संपत्ति है। उनके कहीं भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो वे जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जवाब में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पंजीबद्ध अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत दिये जाने पर अभियुक्तगण साक्षियों को डरायेगें–धमकायेगें तथा अभियुक्तगण के फरार होने की संभावना है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी का परिशीलन किया गया।

अभियोजन के अनुसार फरियादी ने दिनांक 04.08.2022 को शाम लगभग 05.00 बजे इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उक्त दिनांक को वह, उसकी देवरानी, ससुर एवं बच्चे घर पर थे उसके ससुर को बाली उर्फ लेखराम उसके बाडे में गाय घुसने की बात को लेकर मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा, गालियां देने के बाद वहां से बाली चला गया था। करीबन 5.30 बजे गली में चिल्ला चोट बचाव बचाव की आवाज आई तो फरियादी व उसकी देवरानी दौडकर नगीन किराना दुकान के पास

पास पहुंचे वहां जाकर देखा तो उसके देवर को **बाली उर्फ लेखराम और सुग्रीव उर्फ अशोक मां बहन की नंगी नंगी गालियां देकर हाथ मुक्को से मारपीट कर रहा था, इतने में बाली के बडे पापा का लडका दिना उर्फ दिनेश उर्फ अर्जुन उसके सीधे हाथ में रखी लकड़ी लेकर आया और उसके देवर मयाराम को सिर में लकडी मारी जिससे खून निकला और उसका देवर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया** तभी उसका पति वहां पर आ गया। तीनों ने जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट किये जाने पर आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध कमांक 361/22 अंतर्गत धारा 294, 323, 506/34 भादवि पंजीबद्ध किया गया।

इस प्रक्रम पर अनुसंधान के दौरान अब तक एकत्र की गई साक्ष्य सामग्री की कठोर संवीक्षा अपेक्षित नहीं है, लेकिन इतना दर्शित होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 326, 307, 506/34 भा.द.वि के अधीन अपराध का आक्षेप है कि उन्होनें सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत के साथ उन परिस्थितियों में मारपीट की कि यदि उनके कृत्य से आहत की मृत्यु होती तो वे हत्या के दोषी होते। आहत पर लाठी से और हाथ मुक्को से प्रहार किया जाना अभिकथित है। प्रथम जमानत आवेदन पत्र अनुसंधान की प्रारंभिक अवस्था में बल ना देने से निरस्त किया गया है। लगभग ढाई महिने की अवधि के पश्चात अनुसंधान पूर्णता की ओर है। अनुसंधान में आरोपी की आवश्यकता दर्शित नहीं होती है । आरोपीगण दिनांक 06.08.2022 से अर्थात लगभग ढाई माह से अभिरक्षा में है। आरोपीगण थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम जामन्या के स्थाई निवासी है । आरोपी लेखराम के विरूद्ध पूर्व में चोरी के दो अपराध विवेचनाधीन होना बताया गया है परंतु अन्य किसी मामले में कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिलिखित नहीं है । आवेदकगण ऐसी स्थिति में नहीं है, जो अनुसंधान या विचारण को प्रभावित कर सकें, उपरोक्त तथ्य और परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/आरोपीगण को मामले के गुण अवगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत होता है।

अतः इस न्यायालय के मत में आरोपीगण को जमानत पर रिहा किये जाने के लिये उपरोक्त परिस्थितियां विद्यमान है। अतः उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत व्दितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 **स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है। प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त व्दारा 50,000/–रुपये की सक्षम प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर छोड़ा जावे :–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकरण के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगें। प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होगें जब तक कि कोई आपवादिक परिस्थिति ना हो जिसके अधीन उन्हें व्यक्ति हाजरी से अभिमुक्ति ना दी गई हो।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय में या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट ना करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उन्हें कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगें या साक्ष्य को नही बिगाडेगें ।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण उन पर जैसा आरोप है ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें।

आदेश की प्रति सहित संबधित न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जावे।

केस डायरी आदेश की सत्यप्रतिलिपि सहित संबधित थाना वापस भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का परिणाम विधिवत सी.आई.एस. पंजी में दर्ज कर आदेश को अपलोड किया जाकर, आदेश पत्रिका मयप्रपत्र तहसील न्यायालय हरसूद के अभिलेखागार में संचित किया जावे।

ASHISH DAWANDE

Digitally signed by ASHISH DAWANDE
Date: 2022.10.19 18:32:37 +0530

(आशीष दवंड़े)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
हरसूद,जिला खंडवा